



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

संभागीय कार्यालय REGIONAL OFFICE

केन्द्रीय विद्यालय न.1, ए.एफ.एस.कैम्पस, सेक्टर-14

KV No.1, AFSCampus, Sector-14

गुरुग्राम, हरियाणा / Gurugram (Haryana)-122001

Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

E-mail: dcrogurgaon@kvsedu.org, admnkvsrogurgaon@gmail.com

एफ.32050/एम.ए.सी.पी./प्रशा./2017-18/के.वि.सं.(गुडगाँव)/3297-3399

दिनांक: 08-सितम्बर-2017

तत्काल डाक/ई-मेल/वेबसाइट

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19.05.2009 एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०) के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.11029-16/2009 के.वि.एस(मु०)(प्रशा०-1) दिनांक 09.02.2011 तथा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये स्पष्टीकरण की अनुपालना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग में गठित विभागीय समीक्षा समिति की दिनांक 21.08.2017 को संपन्न हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कोटि के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को जिनके विवरण उनके नाम के साथ दिए गए हैं, संशोधित आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति/आश्वस्त जीवन प्रगति योजना (MACP/ACP) के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन एतद्वारा प्रदान किया जाता है:-

Sl No	Name	Designation	Name of the KV	Date of regular appointment in KVS	Date of appointment in KVS on Present Post	Whether 1st/2nd/3rd MACP	Date of appointment to MACP	Grade Pay
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASSISTANT SECTION OFFICER								
1	MRS. NIRMLA DEVI	ASO	RO Gurugram	18.11.1985 as UDC	31.12.1999	3rd	18.11.2016	4800
2	MRS. ASHA	ASO	FARIDABAD No1	19.09.1986 as UDC	22.01.2011	3rd	19.09.2016	4600
SENIOR SECRETARIAT ASSISTANT								
1	MR. KAPOOR SINGH	SSA	NAHARA	11.11.1986 as LDC	20.01.1998	3rd	11.11.2016	4200
2	MR. DALBIR SINGH	SSA	HARSINGHPURA	15.01.1987 as LDC	29.11.2002	3rd	15.01.2017	4200
JUNIOR SECRETARIAT ASSISTANT								
1	MR. SUMIT KUMAR	JSA	JHAJJAR	10.10.1996	10.10.1996	2nd	10.10.2016	2400
SUB-STAFF								
1	MR. RAM NIWAS	Sub-Staff	HISSAR CANTT	21.04.1986	21.04.1986	3rd	21.04.2016	2400
2	MR. RAMESH KUMAR	Sub-Staff	REWARI	01.09.1986	01.09.1986	3rd	01.09.2016	2400
3	MR. SURESH KUMAR	Sub-Staff	FARIDABAD No 2	22.07.1986	22.07.1986	3rd	22.07.2016	2400
4	MR. MAHAVIR SINGH	Sub-Staff	SIRSA No 2	07.04.1985	07.04.1986	3rd	07.04.2016	2400
5	MR. NARESH KUMAR	Sub-Staff	SIRSA No 2	20.08.1985	20.08.1986	3rd	20.08.2016	2400
6	MR. PRATAP SINGH	Sub-Staff	REWARI	22.09.1986	22.09.1986	3rd	22.9.2016	2400
7	MR. SATISH KUMAR SHARMA	Sub-Staff	PALUWAS	06.08.1986	06.08.1986	3rd	06.08.2016	2400

(कुल 12 प्रकरण)

सी.सी.एस की पहली अनुसूची (संशोधित वेतन) के नियम 2008 के भाग 1 खंड ए के अनुसार पदानुक्रम में अगले क्रम ग्रेड पे एवं संशोधित पे बैंड में एम ए सी पी की योजना लागू की गई है। आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत जिनका ग्रेड पे बढ़ गया या जिन्हें पदोन्नति मिली उन सब को छटे वेतन आयोग में उनके ग्रेड पे को एक साथ किये जाने की वजह से उन्हें एम ए सी पी योजना पदोन्नति के समान होने के कारण इस योजना के अंतर्गत आने वालों को ग्रेड पे मिलाकर 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, उन्हें पदोन्नति मिलने पर वे वेतन निर्धारण के हकदार नहीं होंगे बशर्ते कि उनका ग्रेड पे अधिक होने पर अगले ग्रेड पे का लाभ अवश्य मिलेगा। एफ आर 22(1)a(1) के अंतर्गत वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए एम ए सी पी योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद जो भी उनके लिए फायदेमंद हो सम्बंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प (Option) दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा। उक्त अवधि के अंतर्गत विकल्प नहीं देने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन एम ए सी पी/ ए सी पी की देय तिथि से ही निर्धारित किया जायेगा।

ए.एस. रावत
 (एस. एस. रावत)
 उपायुक्त

वितरण:

1. सम्बंधित कर्मचारी।
2. उपायुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस कार्यालय आदेश की दो प्रतियाँ (एक प्रति सम्बंधित कर्मचारी को देकर रसीद प्राप्त करके उसकी व्यक्तिगत पंजिका में रखें) इस उद्देश्य के साथ प्रेषित कि वे सम्बंधित कर्मचारी जिसको इस आदेश के द्वारा एम ए सी पी/ ए सी पी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है, उनसे सम्बंधित विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से इस तथ्य को पुनः सत्यापित करें कि सम्बंधित कर्मचारी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान कभी भी पदोन्नति को अस्वीकृत नहीं किया है, यदि ऐसा पाया जाता है तो इस कर्मचारी का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजें। सम्बंधित कर्मचारी से इस आशय का एक वचनबद्धता पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि संशोधित आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने में कभी भी किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापिस ले लिया जाएगा।
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
7. इस संभागाधीन शेष केन्द्रीय विद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को सूचनार्थ।
8. क्षेत्रीय महासचिव, गुरुग्राम संभाग, सभी मान्यता प्राप्त सेवा संघ।
9. निजी सहायक, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग- वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय आदेश संचिका।